

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:-प.2(242)/डीओआईटीएण्डसी/2022/पार्ट-1/00489/2023

जयपुर, दिनांक: 13/01/2023

आदेश

राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 और स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 एवं प.15(88)FD/Rules/2017 दिनांक 27.02.2022 तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Pt. दिनांक 30.05.2022 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को सूचना सहायक के पद पर 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 06 में उल्लेखित दिनांक से सूचना सहायक के पद की प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल-10 में स्वीकृत की जाती है:-

क.स.	मेरिट नम्बर	सूचना सहायक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	विभाग / कार्यालय का नाम	सूचना सहायक के पद पर प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	प्रथम ए.सी.पी. देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	1450	विमलेश दर्जी	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-लुनकरणसर, बीकानेर	24.09.2013 (मध्याह्न पश्चात्)	25.09.2022	
2	1626	तरुण शर्मा	कार्यालय प्रोदेशिक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी, अजमेर	14.10.2013	14.10.2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय
3	2644	तनुश्री व्यास	राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी राजमेस, जयपुर	25.09.2013	25.09.2022	
4	2715	तपन वर्मा	जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, अलवर	25.09.2013	25.09.2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय
5	3296	यशस्वी कुमार बांयला	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	25.09.2013	25.09.2022	
6	3372	विकास कुमार नायक	परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, चूरू	30.09.2013	30.09.2022	
7	3683	यशवन्त ठागरिया	कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, मालपुरा, टोंक	25.09.2013	25.09.2022	
8	3837	योगेश गोयर	कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, अलवर	25.09.2013	25.09.2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय
9	4229	टीना चंचल	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	23.09.2013	23.09.2022	
10	4349	टीना वर्मा	निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर	14.11.2013	14.11.2022	

* उपर्युक्त क्र.सं. 2,4,8 पर अंकित सूचना सहायकों के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त सभी सूचना सहायकों का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 (2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हे:-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत नहीं की गई है।

लगातार...

3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
6. इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

—sd—

(विवेक कुमार)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. सम्बंधित सूचना सहायक।
5. सम्बंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

विजय
19/01/2023
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी